SPEED POST
URGENT

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

क्र0 9/नर्सिंग/सेल–1/2019/07। भोपाल, दिनांक 23/1/2019

आदेश

1. कु. रोशनी शर्मा स्टॉफ नर्स के द्वारा अवमानना प्रकरण क्रं 3440/2018 दायर किया गया है जिसकी प्रति दिनांक 22.12.2018 को कार्यालय में डाक से प्राप्त हुई है। अवमानना प्रकरण क्रं 3440/2018 की प्रति दिंनाक 22.12.2018 को कार्यालय में डाक से प्राप्त होने पर यह प्रकरण कार्यालय के संज्ञान में आया है। उक्त याचिका कु रोशनी शर्मा द्वारा रिट पीटिशन क्रं 24092/2018 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2018 का पालन न होने से व्यथित होकर की गई है। याचिकाकर्ता कु0रोशनी शर्मा स्टॉफ नर्स द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर मे रिट पीटीशन क्रमांक 24092/2018 दायर की, जिसमें (1) प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (2) अपर संचालक नर्सिंग (3) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद एवं (4) खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पचमढी को प्रतिवादी बनाया गया है तथा प्रशासकीय आधार पर जिला होशंगाबाद से जिला राजगढ़ किये गये स्थानान्तरण के संबंध में निराकरण चाहा गया।

2. प्रकरण में छानबीन करने पर यह पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा रिट पीटीशन 24092/2018 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2018 की सूचना तथा अभिप्रमाणित प्रति (Certified Copy) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में आज दिनांक तक प्राप्त नही हुई है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में दायर रिट पीटीशन 24092/2018 की प्रति भी संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें में प्राप्त नही हुई है।

इस संबंध में खण्ड चिकित्सा अधिकारी से दूरभाष पर दिनांक 25.12.2018 को चर्चा की गई । चर्चा उपरांत उनके द्वारा पत्र क्रं 740 दिनांक 26.12.2018 के साथ कु रोशनी शर्मा स्टॉफ नर्स का आवेदन दिनांक 31.10.2018 प्रेषित किया गया है जिसमें प्राप्त संलग्नक में माननीय न्यायालय द्वारा दिनाक 29.10.2018 को पारित आदेश की अभिप्रमाणित प्रति (Certified Copy) की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। इनके द्वारा आवेदन दिनांक 31.10.2018 पर "खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पचमढ़ी जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश द्वारा" का उल्लेख कर एवं (1) अपर प्रमुख मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल (2) अपर संचालक नर्सिंग संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये भोपाल म.प्र. (3) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद म.प्र.एवं (4) खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पचमढी जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश को आवेदन संबोधित करते हुए खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु. स्वास्थ्य केन्द्र पचमढ़ी जिला होशंगाबाद के कार्यालय में जमा कराया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशो के पालन में याचिका कर्ता कु रोशनी शर्मा को उक्त अभ्यावेदन Respondent No2 अपर संचालक नर्सिंग को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

3. कु रोशनी शर्मा द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2018 (जिसका उल्लेख रिट पीटीशन 24092/2018 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2018 में किया गया है) स्पीड–पोस्ट डाक के माध्यम से अपर संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये भोपाल म.प्र को संबोधित कर प्रेषित किया है जिसकी दो प्रतिया अपर संचालक नर्सिंग को दिनांक 12.10.2018 को प्राप्त हुई। आवेदन दिनांक 03.10.2018 में कुमारी रोशनी शर्मा द्वारा लेख किया गया है कि "मेरा स्थानान्तरण संचालनालय के आदेश क्रमांक 09/नर्सिंग/सेल–1/18/750 दिनांक 28.09.2018 द्वारा प्रशासकीय आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पचमढ़ी जिला होशंगाबाद से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ कर दिया गया है मैनें स्थानान्तरण के संबंध में कोई आवेदन भी नही दिया है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पचमढी जिला होशंगाबाद से जिला राजगढ लगभग 343 किलोमीटर दूर है। मै अविवाहित हूँ मेरा स्थानान्तरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पचमढ़ी जिला होशंगाबाद से जिला राजगढ गलत हुआ है जिसे निरस्त करने की कृपा करें।"

स्थानान्तरण के विरूद्व कार्यालय में सामान्य रूप से संशोधन निरस्तीकरण के आवेदन आते रहते है। यह एक सामान्य प्रकिया है। कु रोशनी शर्मा के आवेदन दिनांक 03.10.2018 पर तत्समय विचार नहीं हो सका।

4. कु रोशनी शर्मा द्वारा दायर रिट पीटीशन 24092/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2018 में यह लेख है कि :–

Petioner is aggrieved by order dated 28-09-2018 which is challenged on various ground including the ground that it is passed during ban period It is seen that petioners has already prefered a representation dated 03-10-2018.

Thus, I deem it proper to dispose of this petition with the following direction :-

"(i) Petitioner shall resubmit aforesaid representation along with copy of this orderbefore respondent No.2 within seven working days from today,failing which the interim protection will not be available to the petitioner.

(ii)In turn, the said respondent shall consider and decide the representation in accordance with law by a reasoned order expeditiously.

(iii) Subject to aforced, till final decisión is taken on the representation, no coercive action be taken against the petitioner for not joining at the place of transfer"

5. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पीटीशन 24092/2018 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2018 की अभिप्रमाणित प्रति Certified copy कु रोशनी शर्मा द्वारा प्रस्तुत नही की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन 24092/2018 में पारित आदेश 29.10.2018 का संज्ञान कार्यालय को दिनांक 22.12.2018 को आने से उक्त प्रकरण में उल्लेखित आवेदन दिनांक 31.10.2018 एवं आवेदन दिनांक 03.10.2018 का निराकरण निम्नानुसार किया जाता है :–

(i).मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी स्थानातरण नीति वर्ष 2017–18 जो 2018–19 में भी लागू है, उसकी कंडिका 9 के अनुसार प्रतिबंधित अवधि में समस्त स्थानान्तरण समन्वय में आदेश प्राप्त कर किऐ जाऐंगें।

स्थानान्तरण निति में दिये गये निर्देशों का विधिवत पालन करते हुए संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन पश्चात् समन्वय में माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन प्राप्त कर संचालनालय के आदेश क्रमांक 09/नर्सिग/सेल–1/18/750 दिनांक 28.09.2018 द्वारा कु. रोशनी शर्मा का स्थानातरण प्रशासकीय आधार पर किया गया है।

(ii). कु रोशनी शर्मा स्टॉफ नर्स की प्रथम नियुक्ति (परीवीक्षा पर) होने पर इन्होने दिंनाक 02.07.2016 को सामु.स्वास्थ्य केन्द्र पंचमढी जिला होशगांबाद में कार्यभार ग्रहण किया है। इनकी कार्यप्रणाली इस प्रकार है कि इनके दिंनाक 02.07.2016 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् अल्पअवधि में ही इनके विरूद्व अनेक शिकायतें सामान्य जनता एवं वरिष्ठ अधिकारियो के माध्यम से प्राप्त हुई, उदाहरण के लिये:–

(अ) कु रोशनी शर्मा स्टॉफ नर्स ने डॉ आर.के चौधरी,खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु स्वास्थ्य केन्द्र पंचमढ़ी जिला होशगाबाद के विरूद्व शिकायते की। चिकित्सा संस्था में सौहार्दपूर्ण वातावरण के दृष्टिगत दोनो को ही स्थानातरित करना उचित था। डॉ आर.के चौधरी को दिनांक 03.09.2018 को स्थानातरित किया गया एवं इसी परिपेक्ष्य में कु रोशनी शर्मा स्टॉफ नर्स का भी स्थानातरण किया गया।

(ब) दिनांक 18.12.2017 को कलेक्टर होशगाबाद के पंचमढी भम्रण के दौरान जनसामान्य ने स्टॉफ नर्स कु रोशनी शर्मा की शिकायते की गई। शिकायत में बताया गया कि स्टॉफ नर्स डयूटी से अनुपस्थित रहती है तथा मरीजो के साथ खराब व्यवहार करती है एवं कार्य में लापरवाही है।

(स) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र दिनांक 27.12.2017 द्वारा कु. रोशनी शर्मा (परीवीक्षा अवधि) को कार्य में लापरवाही बरतने, अनुपस्थित रहने, स्टॉफ के कर्मचारियो को प्रताडित करने एवं वरिष्ठ अधिकारियो के आदेश की अवहेलना करने तथा पंचमढी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के विरूद्व आरोप लगाने जैसे नियम विरूद्व कार्य करने के कारण इनकी सेवाये वर्खास्त करने की अनुंशसा के साथ क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाये भोपाल संभाग को प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर विभागीय कार्यवाही प्रचलन में है।

(iii) स्टॉफ नर्स का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है। कोई भी सरकारी कर्मचारी राज्य के अन्दर किसी भी जिले में कार्य करने के लिये निर्देशित किया जा सकता है। कोई भी कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार किसी स्थान विशेष पर कार्य करने हेतु प्रशासन को बाध्य नही कर सकता है।

(iv) जिला राजगढ केन्द्र शासन की आकांक्षी (Aspirational) जिलों की योजना में सम्मिलित है। जिला राजगढ में रिक्त स्टॉफ नर्सेस के पदों की पूर्ति करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिक्ता है। इस हेतु कु रोशनी शर्मा स्टॉफ नर्स को जिला राजगढ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन पदस्थ किया गया। स्थानांतरण नीति के बिन्दु कंमाक 8.23 में स्पष्ट लेख है कि रिक्त पद होने पर स्थानांतरण किया जाना चाहिए।

उपरोक्त वर्णित तथ्यो के प्रकाश में विचारोपरान्त रिट पीटीशन 24092/2018 में पारित निर्णय दिनांक 29.10.2018 में दिये गये निर्देशों के पारिपालन में कु. रोशनी शर्मा

स्टॉफ नर्स के प्राप्त अभ्यावेदन दिंनाक 03.10.2018 तथा 31.10.2018 का परीक्षण उपरांत नियमानुकूल न होने के कारण अमान्य किया जाता है।

(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(रूही खान)
अपर संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

पृ.क्रमांक/9/नर्सिंग/सेल–1/072 भोपाल, दिनांक 23/01/2019

प्रतिलिपीः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. महाधिवक्ता म.प्र उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र।
3. संचालक (लीगल) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
4. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाये भोपाल म.प्र।
5. संयुक्त संचालक (लीगल) स्वास्थ्य सेवायें जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र. की ओर न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़/होशंगाबाद म.प्र.।
7. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पचमढ़ी,जिला होशंगाबाद,म.प्र.।
8. कु रोशनी शर्मा स्टॉफ नर्स व्दारा खण्ड चिकित्सा अधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,पचमढी, जिला होशंगाबाद।
9. प्रभारी एम0आई0एस0स्थानीय कार्यलय की और प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड किये जाने की कार्यवाही करें।
10. आदेश नस्ती ।

अपर संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश